

 राजस्थान राज—पत्र विशेषांक अधिकार प्रलिपि भाद्र २०, शुक्रवार, शाके १९३१—सितम्बर ११, २००९ <i>Bhadra 20, Friday, Saka 1931—September 11, 2009</i>	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary <i>Published by Authority</i>
--	---

भाग ४ (क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

दिवि (विशेषांक प्राप्तपत्र) विभाग

(पृष्ठ—२)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर ११, २००९

संख्या प. १(१८) दिवि/१/२००९.— राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निर्मांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल मठोदय की अनुमति दिनांक १० सितम्बर, २००९ को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान विधानों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, २००९

(२००९ का अधिनियम संख्या०१८)

[राज्यपाल मठोदय की अनुमति दिनांक १० सितम्बर, २००९ को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में दिवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण और उससे संसक्त और उससे आनुशंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान—मण्डल निर्वाचित अधिनियम बनाता, है :—

- संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ— १) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधानों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, २००९ है।
- इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।
- यह राज—पत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रदृढ़ होगा।

15. (2) राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 11, 2009 मार्ग 4 (क)

2. परिवार एवं जब लक्ष कि विवाह या सदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

- (क) 'विवाह का प्रमाणपत्र' से धारा 9 के अधीन जारी दिवाह का प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;
- (ख) 'विवाह' में पुनर्विवाह सुमिलित है;
- (ग) "ज्ञापन" से धारा 7 में वर्णित विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए ज्ञापन अभिप्रेत है;
- (घ) "रजिस्टर" से धारा 13 के अधीन संचारित विवाह का रजिस्टर अभिप्रेत है;
- (ङ) "रजिस्ट्रार" से धारा 4 के अधीन नियुक्त विवाह का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;
- (च) "जिला दिवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" से धारा 5 के अधीन नियुक्त जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अभिप्रेत है;
- (छ) "महारजिस्ट्रार" से धारा 6 के अधीन इस रूप में पदाभिहित महारजिस्ट्रार अभिप्रेत है;
- (ज) "अनुष्ठापित करना" से किसी भी रूप में या 'सीति से विवाह करना' अभिप्रेत है;
- (झ) "प्रस्तुत करना" में रसीदी रजिस्ट्रीकूट डाक द्वारा देजना सुमिलित है।

3. विवाह के रजिस्ट्रीकरण का अनिवार्य होना—इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् राजस्थान राज्य में ऐसे व्यक्तियों, जो भारत के नागरिक हैं, के दीच अनुष्ठापित प्रत्येक विवाह का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य होगा।

4. रजिस्ट्रार छो नियुक्ति—राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, इतने व्यक्तियों को, जितने यह आवश्यक समझे, नाम से या पदानिवान से, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों को लिए, जो विहित किये जायें, विवाह के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकेंगी।

5. जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति—राज्य सरकार, राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा नाम से या पदाभिधान से संबंधित जिले के लिए जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

6. महारजिस्ट्रार—राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, संघर्षित देखाये के लिए बैठक अधिकारी को इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को मानीटर और पुनरीक्षित करने के लिए राजस्थान राज्य के लिए विवाह के महारजिस्ट्रार के रूप में पदाभिहित कर सकेगी।

7. विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए ज्ञापन-विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए ज्ञापन ऐसे प्रलेप में होगा जैसा विहित किया जाये।

8. ज्ञापन प्रस्तुत करने का इरादा—(1) पक्षकार या जाहां प्राप्त इकाई वर्ष के न हो वहाँ पक्षकारों के माता पिता या यथास्थिति, संरक्षक विवाह के अनुष्ठान की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर प्रस्तुत करने का ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर विवाह अनुष्ठानित किया गया है या दोनों पक्षकार या उनमें से कोई निवास करता है।

(2) कोई भी ज्ञापन, जो उप-धारा (1) में विविर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो, ऐसी शारित के संदाय पर, जो विहित की जाये, किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकेगा।

9. विवाह का रजिस्ट्रीकरण और विवाह का प्रमाणपत्र—सभी प्रकार से पूर्ण ज्ञापन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार विवाह का विहित शीति से रजिस्ट्रीकरण करेगा और उस व्यक्ति को, जिसने ज्ञापन प्रस्तुत किया है, विहित प्रक्रिया में विवाह का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

10. इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अनुष्ठानित विवाह का रजिस्ट्रीकरण—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, अनुष्ठानित किसी भी विवाह का धारा 7 के अधीन विहित प्रलेप में ज्ञापन प्रस्तुत करने और ऐसी फैस का संदाय करने पर, जो विहित की जाये, रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा।

11. अधिकृतीकरण विवाह को अधिधिमान्य नहीं करेगा,-कोई विवाह मात्र इस कारण से अधिधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि ऐसा विवाह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकूट नहीं किया गया है।

12. शास्ति—(1) कोई भी व्यक्ति—

(क) जो, धारा 8 के अधीन ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होते हुए भी, उसमें विशिष्ट कानूनविधि की भीतर ऐसा ज्ञापन प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(ख) जो, ज्ञापन में कोई ऐसा कथन या घोषणा करता है जो लालिक विशिष्ट में भिन्न हो और जिसके लिया होने के बारे में वह जानता हो या उसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण हो,

दोपसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से जो विहित किया जाये, दण्डनीय होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय लिस्टी अपराध के, लिए कोई भी अभियोजन, सञ्चय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकूट लिस्टी अधिकारी के सिवाय संस्थित नहीं किया जायेगा।

13. रजिस्टर और अमिलेखों का संघारण—रजिस्ट्रार ऐसे प्रकृप में और ऐसी रीति से विवाह का रजिस्टर संघारित करेगा जो विहित की जाए और ऐसे अन्य सुसंगत अमिलेख भी संघारित करेगा।

14. रजिस्टर और अमिलेखों का लोक निरीक्षण ले लिए द्युला होना और उद्दर्श्यों की प्रमाणित प्रतीयों का दिया जाना—(1) इस अधिनियम के अधीन संघारित रजिस्टर और अमिलेख रजिस्ट्रार को किये गये आवेदन और ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के संदाय पर समस्त युक्तियुक्त समय पर लोक निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

(2) इस निमित्त किये गये आवेदन पर और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संघारित रजिस्टर या अमिलेख के किसी उद्दरण की प्रति आवेदक को देगा।

15. रजिस्ट्रार द्वारा विवाह के प्रमाणपत्र की प्रति जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजी जाना—जब रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अधीन किसी विवाह को रजिस्ट्रीकृत करता है तब वह तदुपरान्त तत्काल विवाह प्रमाणपत्र की एक प्रति जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजेगा जो उसके लिए विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के कार्य को मानीटर और पुनरीक्षित करने में सहायक होगी।

16. रजिस्ट्रार का लोक सेवक होना—प्रत्येक रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार के कार्यालय का प्रत्येक कर्मचारी, जब वह इस अधिनियम के किन्हीं भी उपर्योगों के अनुसरण में कार्य कर रहा हो या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड भांडिता, 1850 (1850 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

17. संरक्षण—किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी किसी भी बात के लिए कोई भी यांद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं को जायेगी जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की जाये या की जाने के लिए आशयित हो।

18. कठिनाइयों के निराकरण की शर्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपर्योगों को क्लियान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राज-पत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसे आदेश कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपर्योग से असंगत न हों और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) इन धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात यथावधार शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के सम्म. जब वह सत्र में हो, रखा जायेगा।

19. नियम बनाने की शर्ति—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशेषतया और पूर्णगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त या किसी भी मामले के

लिए उम्मेद कर सकेंगे, अर्थात्—

- (क) ज्ञापन का प्रस्तुप;
- (ख) ज्ञापन के साथ दी जाने वाली फोटो;
- (ग) विवाह के प्रमाणपत्र का प्रस्तुप;
- (घ) रजिस्टर का प्रस्तुप और वह रीति जिसमें ऐसा रजिस्टर संदर्भित किया जायेगा;
- (ड) अन्य अभिलेख जो रजिस्ट्रार द्वारा रखा और संदर्भित किया जायेगा और वह प्रस्तुप और रीति जिसमें ऐसा अभिलेख संदर्भित किया जायेगा;
- (च) रजिस्टर और अन्य अभिलेखों के निरीक्षण के लिए फोटो;
- (छ) रजिस्टर और अन्य अभिलेखों के उद्घारणों की प्रमाणित प्रतियाँ दिये जाने के लिए आवेदन का प्रस्तुप और फोटो;
- (ज) कोई भी अन्य भासला जो राज्य सरकार द्वारा इन अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए विहित किया जाना हो या किया जा सके।

(3) इस अधिनियम के अधीन इन्हाँ गये समर्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथारक्ष्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समझ, जब वह सत्र में हो, औद्योगिक दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सके, रखे जायेंगे और यदि उस सत्र की वित्तमें वे इस प्रकार रहे गये हो, तो ठोक आगे सत्र की समाप्ति के दूर राज्य विधान-मण्डल को रादर हो किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह झंकत्य करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्परतात् ऐसे नियम के बिल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रमाणी होंगे या, यथास्थिति, उनके कोई केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रमाणी होंगे या, यथास्थिति, उनके प्रभाव नहीं होंगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 11, 2009 15 (7)

अधीन पूर्व में कोई नयी किसी शात की विधिमाल्यता, परे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

20. अधिनेयम का कठिपथ विवाहों पर लागू न होना.—यह अधिनियम भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (1872 का, केन्द्रीय अधिनियम त. 15), पारस्ती विवाह और विवाह-विचोद अधिनियम, 1936 (1936 का केन्द्रीय अधिनियम तं. 3) या दिशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का केन्द्रीय अधिनियम तं. 42) के अधीन अनुष्ठापित विवाहों पर लागू नहीं होगा।

21. निरसन और आवृत्तियाँ—(1) विवाह के अनिवार्य पंजीयन हेतु गृह विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा, निर्देश, आदेश, क्रमांक प. 6(19)ग्र-13/2006 दिनांक 22-05-2006 इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसा निरसन होने पर भी, उक्त दिशा, निर्देशों के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत सभी विवाह, समस्त प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझे जायेंगे, और उक्त दिशा निर्देशों के अधीन जारी सभी प्रमाण पत्र इस अधिनियम के उपर्योग के अधीन जारी किये गये समझे जायेंगे।

एस. एस. कोठारी,

प्रमुख शासन सचिव।

LAW(LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, September 11, 2009

No. F. 2 (18) VMh/2/2009.—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Vivahon ka

Anivarya Ragistrikan Adhiniyam, 2009 (2009 ka Adhiniyam Sankhyank 16):-

(Authorized English Translation)

THE RAJASTHAN COMPULSORY
REGISTRATION OF MARRIAGES ACT, 2009
(Act No. 16 of 2009).

[Received the assent of the Governor on the 10th day of September, 2009]

Act

Act

to provide for compulsory registration of marriage in the state of Rajasthan and matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixtieth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.— (1) This Act may be called the Rajasthan Compulsory Registration of Marriages Act, 2009.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In this Act, unless the subject or context otherwise requires,

- (a) "Certificate of marriage" means a certificate of marriage issued under section 9;
- (b) "Marriage" includes remarriage;
- (c) "Memorandum" means the Memorandum for registration of marriage mentioned in section 7;
- (d) "Register" means a register of marriage maintained under section 13;

- (e) "Registrar" means the Registrar of marriage appointed under section 4;
- (f) "District Marriage Registration Officer" means the District Marriage Registration Officer appointed under section 5;
- (g) "Registrar General" means the Registrar General designated as such under section 6;
- (h) "Solemnize" means to enter into a marriage in any form or manner;
- (i) "To submit" includes send by registered post acknowledgement due.

3. Registration of marriage to be compulsory.—Registration of every marriage solemnized between the persons who are citizens of India in the State of Rajasthan after the commencement of this Act shall be compulsory.

4. Appointment of Registrar.—The State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, either by name or by virtue of office, as many persons as it thinks necessary to be the Registrar of marriage for such local areas as may be prescribed.

5. Appointment of District Marriage Registration Officer.—The state Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, either by name or by virtue of office, District Marriage Registration Officer for the district concerned.

6. Registrar General.—The State Government may, by notification in the Official Gazette, designate a senior officer of the concerned department as Registrar General of marriages for the State of Rajasthan to monitor and review the effective implementation of this Act.

7. Memorandum for Registration of marriage.- Memorandum for registration of a marriage shall be in such form, as may be prescribed.

8. Duty to submit the memorandum.- (1) The parties, or in case the parties have not completed the age of twenty one years, the parents or as the case may be, guardian of the parties, shall be responsible to submit the memorandum within a period of thirty days from the date of solemnization of the marriage to the Registrar within whose jurisdiction the marriage is solemnized or both or any of the parties resides.

(2) A memorandum, which is not submitted within the time limit specified in sub-section(1), may be submitted at any time on payment of penalty as may be prescribed.

9. Registration of marriage and marriage certificate.- On receipt of the memorandum completed in all respects, the Registrar shall register the marriage in the prescribed manner and shall issue a certificate of marriage in the prescribed form to the person who has submitted the memorandum.

10. Registration of marriage solemnized prior to the commencement of this Act.- Notwithstanding anything contained in this Act, any marriage solemnized prior to the commencement of this act may be registered on submitting a memorandum in the form prescribed under section 7 and on payment of such fee as may be prescribed.

11. Non-registration not invalidate the marriage.- No marriage shall be deemed to be invalid solely for the reason that such marriage has not been registered under this Act.

12. Penalty.- (1) Any Person-

(a) Who, being responsible to submit a memorandum under section 8, fails to submit

भाग - (क)

राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 11, 2009 15 (11)

such memorandum within the period specified therein; or

(b) Who makes any statement or declaration in a memorandum which is false in any material particular and which he knows or has reason to believe to be false,

shall, on conviction, be punishable with fine as may be prescribed.

(2) No prosecution for any offence punishable under this Act shall be instituted except by an officer authorized by the State Government in this regard.

13. Maintenance of the register and records.- The Registrar shall keep and maintain a register of marriages in such form and in such manner as may be prescribed and shall also maintain such other relevant records.

14. Register and record to be open for public inspection and certified copies of extracts to be given.- (1) The Register and the record maintained under this Act, on an application made to the Registrar and on payment of such fee, as may be prescribed, shall, at all reasonable time, be open for public inspection.

(2) On an application being made in this behalf and on payment of such fee, as may be prescribed, the Registrar shall furnish to the applicant a copy of any extract of the Register or record maintained by him under this Act.

15. Registrar to furnish a copy of the certificate of marriage to the District Marriage Registration Officer.- When the Registrar registers a marriage under this Act, he shall immediately thereupon send a copy of the certificate of marriage to the District Marriage Registration Officer which will be helpful for him to monitor and review the work of the registration of marriages.

16. Registrar to be the public servant.- Every Registrar and every employee in the office of the Registrar shall, while acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

17. Indemnity.- No suit, prosecution or other legal proceeding shall be instituted against any person for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act or the rules made there under.

18. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government, by notification in the Official Gazette, make such orders, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature while it is in session.

19. Power to make rules.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the form of memorandum;
- (b) fee to be accompanied with the memorandum;
- (c) the form of the certificate of the marriage;
- (d) the form of the Register and the manner in which such register shall be maintained;

- (c) other record which shall be kept and maintained by the Registrar and the form and manner in which such record shall be maintained;
- (f) fee for the inspection of the register and other records;
- (g) the form of the application and the fee for grant of the certified copies of the extracts of the register and other records;
- (h) any other matter which is to be or may be prescribed by the State Government for carrying out the purposes of this Act.

(3) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following the House of the State Legislature makes any modification in any such rules or resolves that any such rules should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done thereunder.

20. **Act not to apply to certain marriages.**- This Act shall not apply to marriages solemnized under the Indian Christian Marriage Act, 1872 (Central Act No. 15 of 1872), The Parsi Marriage and Divorce Act, 1936 (Central Act No. 03 of 1936) or the Special Marriage Act, 1954 (Central Act No. 42 of 1954).

21. **Repeal and Savings.**- (1) Guidelines for compulsory registration of marriage issued by the Home Department vide order No. F.6(19)Home-13/2006 dated 22-05-2006 are hereby repealed.

15/14) राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 11, 2009, भाग 4 (अ)

(2) Notwithstanding such repeal all the marriages registered in accordance with such guidelines shall be deemed for all purposes the marriages registered under the provisions of this Act and all the certificates issued under the said guidelines shall be deemed to have been issued under the provisions of this Act.

एस. एस. कोठरी,
Principal Secretary to the Government

14
Government Central Press, Jaipur.